

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:9873 (Part 1), 15644

06 11 2023

विषय: खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद मैनुअल

1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।

2) खिलौनों की सुरक्षा के लिए संशोधित उत्पाद मैनुअल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है। क्रम संख्या 9 में दी गई आयु ग्रेडिंग आवश्यकताओं के संबंध में समूहीकरण दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए उत्पाद मैनुअल को संशोधित किया गया है।

3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की संशोधित प्रॉडक्ट मानुअल को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास)
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:9873 (Part 1), 15644

06 11 2023

Subject: Revised Product Manual for Safety of Toys

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for Safety of Toys has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual". The product manual has been revised in order to modify the grouping guidelines with respect to the age grading requirements given in SI No. 9.
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Aditya Das)
Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet